

आदेश

दिनांक-02.11.2018 से 06.11.2018 एवं 08.12.2018 से 10.12.2018 तक हुई केन्द्रीय चयन पर्यद की बैठक में प्रारक्ष पुलिस अवर निरीक्षक (प्रशिक्षण) की कोटि में प्रोन्नति हेतु योग्य पाये गये हवलदारों को प्रारक्ष पुलिस अवर निरीक्षक (प्रशिक्षण) की कोटि में दिनांक-26.12.2018 के प्रभाव के से प्रोन्नति देते हुए उनके नाम के सामने अंकित जिला/इकाई में पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	हवलदार का नाम/आरक्षण कोटि	गृह जिला	जन्म तिथि (mm/dd/yy)	वर्तमान पदस्थापन	हवलदार में प्रोन्नति की तिथि/ वर्ष	प्रोन्नति उपरान्त पदस्थापन
1	हवलदार रामनिवास राय पिछड़ा वर्ग	भोजपुर	5/10/1962	वैशाली	1994	रेल कटिहार
2	हवलदार/ 19 शम्भु सिंह पिछड़ा वर्ग	भोजपुर	1/1/1960	भागलपुर	1995	मुजफ्फरपुर
3	हवलदार/ 38 विन्देश्वरी यादव पिछड़ा वर्ग	भागलपुर	1/2/1959	भागलपुर	1995	भागलपुर (सेवानिवृति 31.01.2019)
4	हवलदार मैनुद्दीन सामान्य	गाजीपुर उ०प्र०	12/1/1961	सिवान	1999	रेल जमालपुर
5	हवलदार एहतेशाम खॉ सामान्य	गाजीपुर उ०प्र०	10/21/1963	समस्तीपुर	1999	रेल जमालपुर
6	हवलदार/ 11 बरतिया भगत अनुसूचित जनजाति	पलामू झारखंड	10/1/1962	बांका	2000	रेल कटिहार

1. संबंधित क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक इन हवलदारों की सेवापुस्तिका में प्रविष्टियों की जाँच अपने स्तर से पुनः कर लेंगे एवं कोई प्रतिकूल टिप्पणी, सेवाभिलेखादि प्रकाश में आता है, तो प्रोन्नति रोक कर पुलिस मुख्यालय को सूचित करेंगे।

2. यदि कोई नव प्रोन्नत प्रारक्ष पुलिस अवर निरीक्षक हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा अनुत्तीर्ण हो या किसी की सेवा वृहद सजा के प्रभाव में हो या किसी नव प्रोन्नत पुलिस अवर निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही इसी बीच प्रारंभ हुई हो या फौजदारी मुकदमा दायर हुआ तो पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक प्रोन्नति का जिलादेश/क्षेत्रादेश रोक कर पुलिस मुख्यालय को सूचित करेंगे।

3. इस प्रोन्नत सूची में शामिल वैसे पुलिस कर्मियों जो पूर्व में अंतः प्रक्षेत्रीय स्थानान्तरण आदेश या अन्य आदेशों से अन्यत्र स्थानान्तरित हो गये हो तो उनकी प्रोन्नति का प्रक्षेत्रादेश/ क्षेत्रादेश/ जिलादेश उनके वर्तमान कार्य स्थान से निर्गत होगा।

4. ऐसे हवलदार, जो सम्पुष्टि की अर्हताएँ पूरी करते हैं फिर भी उनकी सेवा सम्पुष्ट नहीं हो सकी है, जो उनकी सेवा सम्पुष्टि करते हुए प्रोन्नति का जिलादेश/क्षेत्रादेश निर्गत होगा।

5. यदि कालान्तर में वरीय हवलदार का मामला प्रकाश में आता है तो आवश्यक होने पर (रिक्ति के अभाव में) कनीयतम को बिना किसी सूचना के प्रत्यावर्तित कर वरीय को प्रोन्नति दे दी जायेगी।


6. प्रोन्नति से फलित आर्थिक लाभ नये पद पर योगदान की तिथि से देय होगा।

C-110-34127/2019

7. यह आपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस0एल0पी0 (सी0) संख्या-29770/2015 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

8. उक्त प्रोन्नति आदेश का अनुपालन तत्कालन प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।

पुलिस महानिदेशक बिहार के आदेशानुसार,

  
पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)  
बिहार, पटना।


ज्ञापांक- 96/408825 / पी0-2

12-01-03-2018

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 29/01/2019

1. संबंधित पुलिस महानिदेशक/संबंधित अपर पुलिस महानिदेशक/संबंधित पुलिस महानिरीक्षक/संबंधित पुलिस उप-महानिरीक्षक को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक, इकाई सहित को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

  
पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)  
बिहार, पटना।